प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सू.रि.स 03 दिनांक 13.02.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं – – – – – –– –

3.(क) घटना का दिन वीरवार दिनांक से दिनांक 13.02.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 13.02.2014 समय 3.00 पी0एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 11 समय 03.10 पी0एम0

4. (सूचनाकैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब दक्षिण– लगभग 85 कि0मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) चौकी नाहड थाना जाटूसाना जिला रेवाडी।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) करण सिंह (ख) (पिता/पति का नाम) महाबीर सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेती–बाडी (पता) गांव भडंगी डा0 नाहड त0 कोसली जिला रेवाडी

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. कुलबीर सिंह पटवारी हल्का नाहड जिला रेवाडी

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री निरीक्षक कृष्ण कुमार रा0चौ0ब्यू0/उप केन्द्र रेवाडी बदस्त सिपाही रविन्द्र कुमार न0 1320/गुडगांव बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है '' सेवा में श्रीमान जी, राज्य चौकसी ब्यूरो रेवाडी श्रीमान जी , निवेदन है कि मै करण सिंह पुत्र महाबीर सिंह गांव भडंगी डा0 नाहड जिला रेवाडी का स्थाई निवासी हूॅ तथा खेती बाडी का काम करता हूॅ। यह है कि मै अपनी पतृक जमीन का कुछ हिस्सा जो कि 27 कनाल 15 मरला बनती है। जिसकी रजिस्ट्री मैने दिनांक 20.12.2013 को तहसील कोसली से करवा ली थी तथा यह रजिस्ट्री जब मै 08.01.2014 को अपने हल्का पटवारी कुलबीर सिंह को इसका इन्तकाल जमा करवाने के लिये ले गया

तो उन्होने साफ–साफ तौर पर सरकारी फीस के अलावा 1500 रूप्ये रिश्वत के तौर पर इस इन्तकाल को जमा करवाने के मांगने लगा जबकि मै सरकारी फीस 250 रूप्ये अपने हल्का पटवारी कुलबीर सिंह को दे चुका हूॅ। जबकि मै रिश्वत के 1500 रूप्ये देना नही चाहता हूॅ। मेरी पटवारी कुलबीर यिंह से कोई आपसी रंजिश नही है। अतः आपसे अनुरोध ही आप हल्का पटवारी कुलबीर सिंह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय नाकरण सिंह हस्ताक्षर अग्रेजी पता गांव भडंगी डा0 नाहड जिला रेवाडी हरियाणा 123303 एम0 9466932299 कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक मय हमरा ही मुलाजमान के हाजिर कार्यालय चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी हूॅ कि श्री करण सिंह दलाल पुत्र श्री महाबीर सिंह निवासी भडंगी उपरोक्त ने हाजिर हाजिर कार्यालय आकर एक लिखित दरखास्त मन निरीक्षक के सम्बन्ध पेश की जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करें, स्पैशल रिपोर्ट अफसरानबाला व डयूटि मैजिस्ट्रेट के सम्मुख नियमानुसार भिजवाई जावे, मन नि0 मय ए0एस0आई0 गजराज सिंह 275/गुडगांव, ए0एस0आई0 रामकृपाल 182/नारनौल, ए0एस0आई0 महाबीर सिंह 4/31, एच0सी0 अमीत कुमार 1338/गुडगांव वा सवारी सरकारी गाडी न0 एच0आर0 55 जी0 6999 मय चालक ई0एस0आई0अमर सिंह न0 483/नारनौल मय ई0ए0एस0आई0 भाग सिंह न0 201/रेवाडी के बराये लेने रैड अनुमति व करवाने नियुक्त डियूटि मैजिस्ट्रेट कार्यालय उपायुक्त रेवाडी का रवाना होता हूॅ व मुदई को हमराह लिया गया। हस्ताः अग्रेजी रा0चौ0ब्यू0 रेवाडी दिनांक 13.02.2014 समय 12.30 पी0एम0 अज : कार्यालय रा0चौ0ब्यू0 ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी। अजथाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा वा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां व बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बजरिया स्पैशल मैसेन्जर आरिन्दा सिपाही रविन्द्र कुमार 1320/गुडगांव भेजी जा रही है नकल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता अंग्रेजी/– कुलवन्त सिंह नि0

थाना प्रभारी का नाम

नाम : कुलवन्त सिंह

पद : निरीक्षक

सख्यां : 55/एस0आर0

दिनांक 13.02.2014 समय 05.30 पी.एम